19099000003286
2019/00049

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

सरकार बनाम मदन सिंह व जगीर सिंह पटेसिंह चक 294B

किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 3/19 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशिंयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की तामिल में जारी हुए।
18/2/19	पटवारी हल्का 304B ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 294BA के मुरब्बा नं. 189/412 के 0.506 हे. बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री मदन सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह जाति पटेसिंह सा. 294BA ने अतिक्रमण कर सम्वत् 2075 फसल रबी नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरूद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतू गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावें। पत्रावली दिनांक 5/3/2019 को पेश है। पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।	

Scanned with OKEN Scanner

3/5/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। ILR हल्का श्री विजयनगर के समक्ष नीलामी पदि प्रस्तुत की गई जिसमें सर्वाधिक बोलीदाता कुलदीप पु० जयप्रकाश जाति जाट निवासी 10BLMA की 800/- रुपये की दर से उच्चतम बोली स्वीकार की गई। ILR द्वारा नीलामी राशि पावती चालान नं० 20 दिनांक 3/5/19 द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है। जो मांग दर्ज लेख की जावे। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी को उक्त रकबा से बेदखल कर चालान राशि वसूल कर ली गई है। पत्रावली में शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

'ब' रजिस्टर की पृष्ठ सं. 1 से 2 क्रम संख्या 01
दिनांक 3/5/19 वर्ष 2019 दर्ज किया।

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं0 3/2019 वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम मजनसिंह0 जगीर सिं, जाति जाट साo 296D

प्रस्तुतिकरण दिनांक 18/2/19 निर्णय दिनांक 5/3/19

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशिंयल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5/3/19	पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अत: पटवारी हल्का 306B का प्रतिवेदन दिनांक 18/2/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी मजनसिंह पुत्र जगीर सिं जाति जाट/साo निवासी 296B को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अर्न्तगत चक 296BA मु.नं. 189/412 कुल 0.506 है0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू0 राजस्व की दर का 50 गुणा राशि 228/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू0अधि0 SDHC को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 5/3/19 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 38 की क्रम सं. 01 दिनांक 14-3-19 को 228 दर्ज किया गया। ता0रा0ले0	

Scanned with OKEN Scanner